

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

File No:- FFE-B(2)-2/2021

Dated Shimla-171002, the  
Order

2-03-2021

Sub:-

Diversion of 0.1725 hectare of forest land in favour of BRO for the construction and establishment of temporary sheds for site staff/ labours, camping, stores, dumping of constructional material and other allied activities, within the jurisdiction of Lahaul Forest Division, Distt. Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh.(online no. FP/HP/Others/40691/2019)

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, प्रथम एवं द्वितीय तल, सी0जी0ओ० परिसर, लांगवुड शिमला-171001 द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HP/09/135/2019/FC/32 दिनांक 23/10/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **0.1725 हेक्टेयर** वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
- क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा 350 पौधों का रोपण कार्य एवं दस वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। जहां तक संभव हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल प्लांटेशन से बचें।
- ख) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रस्ताव के अनुसार किसी भी प्रकार के वृक्षों का कटान/ पातन नहीं किया जाएगा।
5. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
7. सामान्यतः किसी भी वृक्ष की Lopping नहीं की जायेगी। यदि अत्यन्त आवश्यक हो तो प्रस्तावित structure की ऊंचाई से 2 मी० ज्यादा ऊंचाई तक ही Lopping की अनुमति रहेगी।
8. वन क्षेत्र में Hot Mixing Plant का उपयोग नहीं किया जायेगा।
9. प्रस्तावित क्षेत्र Ecologically sensitive & Fragile है, अतः कार्य प्रारम्भ होने के प्रत्येक दो माह में कम से कम एक बार सहायक वन संरक्षक (ACF/SDO) से अनिम्न स्तर के अधिकारी द्वारा इस क्षेत्र का निरीक्षण कर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जायेगी तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर तत्काल कार्यवाही की जाये। *SIFCA*

*(SIFCA)*  
APCCF (FCA)  
4/3

*(SIFCA)*  
FCCP (MofR)  
3/3/21

प्रवती सं 3996  
तात्काल 05/03/21


Contd./2

- 10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् प्रस्ताव के साथ दिए गए Reclamation Plan के अनुसार उपयोग की गयी वन भूमि पर आवश्यक रिक्लेमेशन कार्य वन विभाग की देख-रेख में किया जायेगा तथा कार्य पूर्ण होने की रिपार्ट इस कार्यालय में भी प्रस्तुत की जाएगी।
- 11 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करेगा।
- 12 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- 13 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 14 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
- 15 संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
- 16 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 17 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
- 18 केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तातरित नहीं की जायेगी।
- 19 प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार से मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।
- 20 यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 21 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
- 22 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।  
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि0 प्र0 के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated, Shimla-171001 the, 2-03-2021  
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Lahaul & Spiti, Distt., Lahaul & Spiti, Himachal Pradesh.
6. DFO Lahaul Forest Division, Distt., Lahaul & Spiti H.P.
7. The Ex-Engineer Border Road Organization Lahaul, Distt. Lahaul & Spiti HP
8. Guard File.

  
(Sat Pal Dhiman) 2-3-2021  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

2641



हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

File No:- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated Shimla-171002, the

4 -03-2021

Order

Sub:- **Diversion of 1.3215 ha of forest land in favour of Gunal Hydro Power Private Limited for the construction of Sheel Small (1.5MW) Hydro Project Within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu H.P.**  
भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/01/55/2016/2263 दिनांक 10/01/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित **1.3215** हेक्टेक्टर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :—

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रतिपूर्ति पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Thana Kalan/ Shamlat Tihra Khas H43 E6, Tehsil Bangana, District Una में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त राशि से कुल 1.33 हेक्टेक्टर वन भूमि में पौधे लगाकर किया जाएगा तथा इस भूमि को भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत छः माह के अंदर आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा। नोडल अधिकारी को अधिसूचना की एक प्रति अभिलेख हेतु क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक से दो वर्षों के अन्दर पूर्ण किया जाना चाहिए।
3. The Final order is being issued as per the directions/ orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071,121109,130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N Godavarman Thirumulpad Vs. UoI & Ors.
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. प्रयोक्ता अभिकारण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/ स्टॉफ के लिये किसी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकारण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिए रसोई गैस / कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जायेगी।

Contd./2

S/Per  
6/3/2021

4041

वन विभाग  
दिनांक 9/3/2021

8. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां सम्बंध हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का Plantation किया जाएगा।
9. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना transfer नहीं किया जाएगा।
10. Layout Plan भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं बदला जाएगा।
11. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 27 से अधिक न हो।
12. The User Agency shall obtain the Environment Clearance as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986, if required, as per the provisions of the Environmental (Protection) Act, 1986.
13. The User Agency shall carry out muck disposal at pre-designated sites in such a manner so as to avoid its rolling down.
14. The dumping area for muck disposal shall be stabilized and reclaimed by planting suitable species by the user agency at the cost of project under the supervision of State Forest Department. Retaining walls and terracing shall be carried out to hold the dumping material in place. Stabilization and reclamation of such dumping sites shall be completed before handing over the same to the State Forest Department in a time bound manner as per Plan.
15. State Govt. shall ensure that the user agency shall comply the provisions of the all Rules, Regulations and Guidelines issued for laying transmission line in forest areas the time being in force, as applicable to the project.
16. The boundary of the forest land being diverted shall be demarcated on ground at the project cost, using four feet high RCC pillars, each pillar inscribed with the serial number, DGPS coordinates, forward and backward bearings and distance from pillar to pillar etc.
17. The User Agency and the State Government shall ensure compliance to provisions of the Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to the Project.

Contd./-3

18. The User Agency shall submit the annual self compliance report on the conditions stipulated in the approval to the State Government and the concerned Regional Office of this Ministry.
19. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।
20. A Lease deed shall be executed by the User Agency with collector-cum-Dy.Commissioner Kullu, H.P.

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हिं प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021      Dated, Shimla-171001 the, 6 -03-2021

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Kullu, Distt., Kullu, Himachal Pradesh.
6. DFO Kullu Forest Division, Distt., Kullu H.P.
7. M/s Gunjal Hydro Power Private Limited
8. Guard File.

*(Sat Pal Dhiman)* 6-3-2021  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh.

3846

हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

\*\*\*

No.- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated: Shimla-171 002, the 4, March, 2021

ORDER

**Subject:-** Diversion of 0.0605 ha of forest land in favour of Department of Treasuries and Lotteries HP, Block No. 23, SDA Complex, Kasumpton, Shimla-171009, within the jurisdiction of Churah Forest Division, Distt. Chamba, Himachal Pradesh.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8बी/एच.पी./09/98/2019/एफ.सी./2289 दिनांक 15.01.2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 0.0605 हेक्टेक्टर वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का रोपण किया जायेगा एवम् उसके 7-10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
4. एन.पी.वी. की दरों में अगर बढ़ौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
5. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉक के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

7. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती बनों को क्षति न पहुँचे।
8. परियोजना के निर्माण व रख-रखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी।
9. निर्माण कार्यों के पूर्ण होने के पश्चात् जहां-जहां संभव हो, परियोजना क्षेत्र के रिक्त स्थानों पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख-देख में उपयुक्त प्रजाति के पौधों का रोपण किया जायेगा।
10. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दिये गये layout plan में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जायेगा।
11. प्रस्ताव के अनुसार कोई भी वृक्षों का कटान/पातन नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण वन विभाग की देख-रेख में प्रत्यावर्तित भूमि का RCC Pillars लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर forward and back bearing भी अंकित किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी से आवश्यक पर्यावरण मंजूरी, यदि लागू है तो, लेना आवश्यक होगा।
14. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
15. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
16. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझें।

him


उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 1<sup>st</sup> March, 2021  
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Tlland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Churah Forest Division, District Chamba, H.P.
7. The District Treasury Officer, Chamba, District Chamba, H.P.
8. Guard File.

  
(Sat Pal Dhiman) 1-3-2021  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2621874

◆◆◆◆◆

2621  
हिमाचल प्रदेश सरकार  
वन विभाग

File No:- FFE-BF(2)-2/2021

Dated Shimla-171002, the

3-03-2021

Order

**Sub:-** Diversion of 3.6413 hectare of forest land in favour of HPPWD for the construction of Link road Dugred to Naloh via Pukhred Khudru Chalarena (Kms. 0/00 to 6/340), within the jurisdiction of Dalhousie, Forest Division Distt. Chamba, Himachal Pradesh.

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या 8B/HPB/06/32/2015/455 दिनांक 26/06/2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 3.6413 हैं। वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं :—

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
  - क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 7.30 हे 0 DPF Banet पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
  - ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।
  - ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 133 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
5. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।  
सरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847, of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.

APCCF (FCA)

Contd./2

PCCF (HOFF)

2/2/21

वारी सं ..... ५०५७

तारंक ..... १३/३/२१

- 9 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करेगा।
- 10 केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले—आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
- 11 वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
- 12 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
- 14 परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
- 15 इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
- 16 वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
- 17 केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जायेगी।
- 18 परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
- 19 यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरुरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
- 20 इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42 / 2017-एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
- 21 पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं जीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्थीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग हि० प्र० के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित किया जाएगा।

आदेश अनुसार  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Contd./3

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated, Shimla-171001 the, 3-03-2021  
 Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests &CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. ✓ The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ Talland Shimla for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, Distt., Chamba, Himachal Pradesh.
6. DFO Dalhousie Forest Division, Distt., Chamba H.P.
7. The Ex-Engineer HPPWD Dalhousie Distt Chamba HP
8. Guard File.

*Sat Pal Dhiman*  
 (Sat Pal Dhiman) 3-3-2021  
 Joint Secretary (Forests) to the  
 Government of Himachal Pradesh.

3699  
11  
हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

\*\*\*

No.- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated: Shimla-171 002, the

1<sup>st</sup> March, 2021

ORDER

**Subject:- Diversion of 2.05 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of motorable link road from Devidehra to Mankot (Kms 0/0 to 3/100), within the jurisdiction of Chamba Forest Division, District Chamba, Himachal Pradesh. (Online No. FP/HP/Road/30804/2017).**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8बी/एच.पी./06/82/2018/एफ.सी./612 दिनांक 14.07.2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.05 हैं वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
  - (क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.10 हैं Dotu Saloth DPF, Kiani Beat, Pukhri Block, Masroond range पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।
  - (ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।
  - (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
4. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 119 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

5. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
7. सरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
8. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
10. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
11. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
12. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
13. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
14. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
15. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख-रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।

लाला

19. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

20. इनमें से किरी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय—समय पर निर्धारित शर्त लागू होंगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मन्त्रालय इस स्थीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,


(आर.डी. धीमान)

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)

हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला—2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 4 March, 2021  
Copy is forwarded for information and necessary action :-

1. Additional Director General of Forests. MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr. CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Chamba, District Chamba, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Chamba Forest Division, District Chamba, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Chamba, District Chamba, H.P.
8. Guard File.

  
(Sat Pal Dhiman) १३-२०२१  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2621874



हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

\*\*\*

No.- FFE-B-F(2)-2/2021

Dated: Shimla-171 002, the 3 March, 2021

ORDER

**Subject:- Diversion of 5.57 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction road from Rains Nashiyar Shalla Batta Monal (Kms 0/00 to 11/500), under NABARD within the jurisdiction of Mandi Forest Division, District Mandi, Himachal Pradesh.**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादून द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8बी/एच.पी.बी./06/30/2014/268 दिनांक 08.06.2020 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 5.57 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 11.14 है0 Dalandhar UPF पर क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

(ख) राज्य शासन द्वारा CA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।

(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त CA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

**4. दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण:**

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 4.05 है0 Naghar DPF पर दण्डात्मक प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक संभव हो, स्थानीय देशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा किसी भी प्रजाति की एकल कृषि से बचें।

him self

APCCF(FCA)

PCCF(HOFF)

५/३/२१

वक्ती सं ५०५८  
तिक्क १३/३/२१

पृष्ठ-1

- (ख) राज्य शासन द्वारा PCA क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी क्योंकि वर्तमान में खसरा संख्या के स्थान पर टोपोशीट संख्या अंकित की गयी है।
- (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त PCA क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 147 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
  6. एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
  7. प्रयोक्ता अभिकरण आई.आर.सी. मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
  8. सरंक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
  9. This final order is being issued as per the directions/orders of the Hon'ble Supreme Court of India delivered on 15-02-2021 in I.A. No. 191338 of 2019, IA No. 55071, 121109, 130847 of 2020 in WP (C) No. 202/1995 titled as T.N. Godavarman Thirmulpad Vs. UoI & Ors.
  10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
  11. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
  12. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
  13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
  14. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
  15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।


16. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
19. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42 / 2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
20. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

आदेशानुसार,

(आर.डी. धीमान)  
अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन)  
हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला-2

Endst. No FFE-B-F(2)-2/2021 Dated: Shimla-171 002 the, 3 March, 2021  
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General (Forests), Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Mandi Forest Division, District Mandi, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD, Mandi, District Mandi, H.P.
8. Guard File.

  
(Sat Pal Dhiman) 3-3-2021  
Joint Secretary (Forests) to the  
Government of Himachal Pradesh  
Phone No. 0177-2621871

